

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

23-8-18

वकील वार्ड द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिंगल से तलब की गई। प्रस्तुत पत्रावली को शा० प० किया गया। प्रार्थना पत्र में बताया कि हमारे दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो गया है। वार्ड आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्जित दावा इसी स्तर पर स्वारिज फवगया जाये।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर मजबूत किया। न्यायहित में वकील वार्ड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वार्ड के बाद पत्र में आपसी राजीनामा हो जाने से तथा वार्ड द्वारा बाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहेंगे से बाद पत्र प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्जित दावा मित्रित किया जाता है। वार्ड पुनः बाद पत्र प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए न्यायालय की अनुमति से निष्का करना चाहता है। वार्ड का बाद पत्र इसी स्तर पर स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुभार लेकर दफ्तर हायिल हो।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी

गाइल जिला, भीलवाड़ा